नईदुनिया



संपादकीय

## कतर में भारत की कूटनीतिक जीत

कतर से बड़ी राहत मिली है। वहां कैद देश के आठ पूर्व नौसैनिकों, जिनमें तीन कैप्टन, चार कमांडर और एक नाविक हैं, की फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई है। अल दहारा कंपनी में कार्यरत इन नौसैनिकों को जासूसी के कथित आरोप में अक्टूबर में सजा सुनाई गई थी। परंतु कतर ने उनके विरुद्ध आरोपों का विवरण जाहिर नहीं किया था। सरकार ने उनकी रिहाई के लिए तमाम कानूनी विकल्पों को आजमाने तथा सभी न्यायिक फोरम पर इसकी लड़ाई लड़ने का आासन दिया था। उस पर भरोसा न करने की कोई वजह भी नहीं थी। उसने अपना काम बखूबी किया। सवाल है कि क्या यह कानूनी विकल्पों को आजमाने का नतीजा है या नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक पहल का भी कोई रोल है। इसमें दोनों की भूमिका है। इसलिए कि यह मामला कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला था। इसमें अमेरिका भी मददगार नहीं हो सकता था। दूसरे, अरब में भारत के दोस्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कतर के संबंध छत्तीस के हैं। ऐसे में भारत के पास कानूनी विकल्प आजमाने के साथ मोदी की पहल सुनिश्चित करने के अलावा कोई चारा नहीं था।

इस तथ्य के बावजूद कि भारत की वि में अपनी एक अनुपक्षणीय हैसियत है और उसने कतर की तब मदद की थी, जब वह अपने ही पड़ोसी देशों की घेराबंदी से खाद्यान्न का मोहताज हो गया था। फिर भी वह नुपूर शर्मा मामले में विरोध करने वाला मध्य पूर्व का वह पहला देश था। इसलिए दो दिसम्बर को दुबई में कॉप28 के सम्मेलन में मोदी को अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के दौरान वहां के 'भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण पर अच्छी चर्चा' करनी पड़ी थी। इसे नौसैनिकों के जिक्र का परोक्ष संकेत समझा गया। निस्संदेह इनका सजा में बदलाव पर असर पड़ा होगा। हालांकि यह सब हुआ है, अदालत के जरिए ही, जहां पीड़ितों के परिजनों के साथ भारत के राजदूत भी मौजूद थे। इससे उत्साहित देश तो यही चाहेगा कि सरकार अपने इन पूर्व नौ सैनिकों को जैसे भी हो अपने घर ले आए। ऐसा हो भी सकता है। एक तो आम माफी के जरिए जो कतर के अमीर एक खास तारीख पर देते हैं। दूसरे, कतर के साथ कैदियों की स्थानांतरण संधि का लाभ उठाते हुए उन्हें अपने देश की जेल में ही बाकी सजा काटने की व्यवस्था करके। दोनों विकल्पों में पहले वाला विकल्प ही काम्य होगा। इसके प्रयास किए जाएं।

# कालगणना नहीं, कालबोध है महत्वपूर्ण

दृष्टिकोण

हृदयनारायण दीक्षित

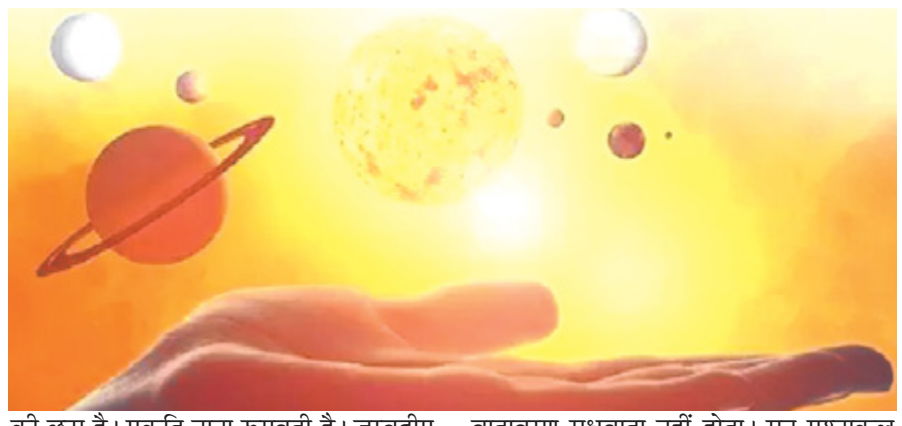

अस्तित्व सदा से है और सदा रहता है। यह सनातन है। चिरन्तन है। यह नया या पुराना नहीं होता। लेकिन अनुभव और अनुभूति में यह प्रतिपल नया है। सूर्य प्रतिपल नया है। हर एक सूर्योदय नया है। इसके पहले मुदित मन प्रतिदिन आती ऊषा भी नई है। ऋग्वेद के ऋषि ऊषा के सौन्दर्य का वर्णन करते हैं। बताते हैं कि यह ऊषा नई हैं और पुराणी युवती हैं। पुराणी युवती शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। युवती शब्द का प्रयोग तरुण स्त्री के लिए होता है। लेकिन ऋषि की अनुभूति में ऊषा पुरानी होकर भी नई हैं। चन्द्र भी प्रतिदिन नया है और साथ साथ पुराना भी। प्रत्येक पूर्णिमा नई है और अमावस्या भी नई है। वर्षा की हर एक बूंद भी नई है। शीत नई है और ऊष्मा भी नई है। यहां नए का अलग अस्तित्व नहीं है। वह पहले से गतिशील अस्तित्व का विस्तार है। समय भी नया या पुराना नहीं होता। समय अखण्ड है।

यूरोपीय काल गणना के अनुसार आज (रविवार) देररात 12 बजे वर्षान्त होगा और उनकी मान्यता के अनुरूप नववर्ष प्रारम्भ हो जाएगा। 'हैप्पी न्यू ईयर' की तैयारियां जोरों पर हैं। इन तैयारियों में अस्तित्व की अनुकम्पा व प्रसाद के गीत नहीं है। अनेक लोग इसी बहाने नई तरह की दारू का इंतजाम कर रहे हैं और नाच गाने का भी। हैप्पी न्यू ईयरसिर पर चढ़कर बोल रहा है। यूरोपीय नववर्ष लगभग हर वर्ष अपने साथ कड़ाके की ठण्ड और सर्द हवाएं लेकर आता है। अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी में जनवरी ही नई है। वैसे जनवरी में कुछ भी नया नहीं होता। न कोई आह्लाद। न प्रसाद, न ऋतु। न आनंद। प्रकृति का कोई छंद और न सुख अनुभव कराने वाली कोई गंध और न स्पर्श। गंध ढोकर लाने वाली हवाएं स्वयं शीत के प्रभाव में हैं। वातावरण में सर्दी ही सर्दी है। सर्दी भी स्वयं दुबकी हुई दिखाई पड़ती है। सर्दी और कोहरे ने हैप्पी न्यू ईयरका मजा कम कर दिया है। तो भी लोगबाग एक दिन पहले से ही हैप्पी न्यू ईयरका नगाड़ा बजा रहे हैं। प्रकृति ने जम्बूद्वीप भरतखण्ड को पूरे मनोयोग से गढ़ा है। यहां सत्य शिव सौन्दर्य की छटा है। प्रकृति नाना रूपवती है। जम्बूद्वीप भरतखण्ड में सदा नीरा नदियां हैं। इठलाती गीत जाती नदियां स्वयं आनंद रस परिपूर्ण हैं। यहां नदियां माताएं हैं और देवियां हैं। इस भूखण्ड में अनंत जलराशि वाले समुद्र भी हैं। फूलों की घाटियां हैं। आकाश छूने को लालायित विशाल मंदिर हैं। सब तरफ वन उपवन हैं। गंधमादन वातायन है। जलाशयों में कमल के फूल हैं। कालिदास ने मेघदूत में कमल के फूलों वाले क्षेत्रों की मोहक चर्चा की है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में भी कमल की विस्तृत चर्चा है। यहां 6 ऋतुएं हैं। सभी ऋतुओं के अपने आकर्षण हैं। लेकिन अंग्रेजी नववर्ष में नदियों में कोई उल्लास नहीं होता। दिशाएं उल्लासधर्मा नहीं होतीं। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। दिन रात मिलाकर 720 अहोरात्र हैं। अहोरात्र दिन रात के जोड़े हैं।

पृथ्वी सहित अनेक ग्रह गतिशील हैं। हमारे पूर्वजों ने काल को चक्रीय बताया है। चक्र की गति में प्रथम और आखिरी नहीं होता। तब नया साल कहां से आया। हमारी समस्या है कि नए साल की गिनती कहां से शुरू करें। प्रश्न यह भी है कि नए साल की गिनती पहली जनवरी से क्यों शुरू होती है। न्यू ईयर वाली जनवरी बिंदास होती है। लेकिन जनवरी में बसंत जैसी सुगन्धित वायु नहीं बहती। वातावरण मधुवाता नहीं होता। मन प्रश्नाकुल है नया साल बसंत से क्यों नहीं शुरू होता फाल्गुन या चैत्र से क्यों नहीं। यूरोपीय विद्वानों ने हड़बड़ी में 10 महीने का कैलेंडर बनाया था। उनके कैलेंडर में तब जनवरी और फरवरी नहीं थे। तब कैलेंडर का सातवां महीना सितम्बर था। लैटिन में सितम्बर सेपटेमबर है। आठवां अक्टूबर है। नवां नवंबर है और दसवां दिसम्बर है। अंग्रेजी कैलेंडर के सातवें, आठवें, नवें और दसवें महीने संख्यावाची हैं। बाद में इसमें जनवरी और फरवरी जोड़ दी गई। तब सातवां माह नवां हो गया। आठवां अक्टूबर था लेकिन दसवां हो गया। नवां नवंबर था। यह ग्यारहवां हो गया और दसवां दिसम्बर बारहवां हो गया।

कालगणना महत्वपूर्ण नहीं है। काल बोध महत्वपूर्ण है। काल अस्तित्व से परे नहीं है। अस्तित्व सर्जक है। इसका प्रत्येक अणु गतिशील है। गति से समय है। दिन, रात, मास व वर्ष काल के अंग हैं। लेकिन सृष्टि के पहले समय नहीं था। ऋग्वेद में कहते हैं, तब न रात्रि थी न दिन।अर्थात समय नहीं था। ऋग्वेद के अनुसार आकाश भी नहीं था। तब वायु भी नहीं थी। लेकिन अस्तित्व वायुहीन वातावरण में अपनी क्षमता के बल पर सांस ले रहा था- अनादि वातं स्वधया तदेकं।सब तरफ गहन अंधकार था और जल ही जल था। वह अगाध जलों में प्रकट हुआ। समय का जन्म गति से हुआ है। भारतीय चिंतन में काल को जगत् का नियन्ता भी कहा गया है। अथर्ववेद के 19वें काण्ड में कहते हैं, काल से सब उत्पन्न होते हैं। काल सबका पिता है। काल से काल उत्पन्न होता है।बताते हैं कि काल पिता है और काल ही पुत्र है। काल से जल पैदा हुआ। काल से ज्ञान तप और दिशाएं उत्पन्न हुईं। काल से सूर्योदय और काल से सूर्यास्त है। काल में मन है और काल में प्राण है।यहां सर्वव्यापी हो गया है। वैसे काल का अस्तित्व एक समान नहीं होता। हम किसी आत्मीय के साथ होते हैं तो काल अल्प प्रतीत होता है। किसी बुरे आदमी की संगति में काल बहुत लम्बा जान पड़ता है।

महाभारत में व्यास ने काल की महिमा बताई है, काल से ऋतुएं हैं। काल से वनस्पतियां उगती हैं। काल से वर्षा है। काल से वायु की गति है। काल से वृक्षों पर फूल खिलते हैं। काल से स्त्रियां गर्भवती होती हैं। काल से सूर्य तपते हैं। काल से युद्ध होते हैं। काल से ही जय पराजय होती है। सब कुछ काल के अधीन है।यहां काल सर्वव्यापी जान पड़ता है। वह महाकाल हो गया है। लेकिन इसी महाभारत में बहुत सुन्दर ढंग से राजा या शासन व्यवस्था को काल से बड़ा बताया गया है-पूछा गया है कि, राजा काल का कारण है या काल राजा का उत्तर है-राजा काल का कारण है। यहां राजा को बड़ा बताया गया है। यह भारत का काल बोध है।न्यू ईयर में काल बोध नहीं है। भारत में सीधे नए साल की महत्ता नहीं है। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि का उद्भव जल से हुआ था। अंधकारपूर्ण अगाध जल से यह अस्तित्व प्रकट हुआ था। सृष्टि के उदय की यह मुहूर्त संवत्सर कही जाती है। सृष्टि के उदय की मुहूर्त महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के सभी हिन्दू चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपना नववर्ष मनाते हैं। हम भारत के लोग उत्सव प्रिय हैं इसलिए अंग्रेजी नववर्ष की गणना भी विश्व बंधुत्व के आधार पर सहज रूप में लेते हैं। आप सबका न्यू ईयर हैप्पी हो।

# कश्मीर : अलगाववादियों पर लगाम

नजरिया

प्रमोद भार्गव

**पुलवामा के भीषण हमले और 44 जांबाजों के प्राण खोने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अलगाववादियों पर शिंकजा कसने की शुरुआत की थी। इन नेताओं में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक, जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष शब्बीर शाह, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हाशिम कुरैशी, पीपुल्स इंडिपेंडेंट मूवमेंट के अध्यक्ष बिलाल लोन और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल गनी बट शामिल हैं। इनमें से कई घाटी में आत्मनिर्णय की पैरवी भी करते रहे हैं, जबकि कश्मीर से चार लाख से भी ज्यादा पंडित, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य अल्पसंख्यकों को तीस साल पहले विस्थापित कर दिया गया था, उनके प्रति राष्ट्रभक्ति कभी नहीं जताई गई और न ही यहां के बहुलतावादी चरित्र की बहाली की बात करते हैं हाशिम कुरैशी 1971 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहर्ताओं में शामिल था। बिलाल लोन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के एक अलगाववादी धड़े का नेता है। फारसी का प्राध्यापक रहा अब्दुल गनी बट हुर्रियत का हिस्सा है।**

अलगाववादी संगठन मुस्लिम लीग को भारत सरकार ने पांच साल के लिए गैर-कानूनी घोषित कर दिया है। इस मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन का नेतृत्व जेल में बंद मसर्रत आलम कर रहा था। केंद्र सरकार द्वारा बीते चार सालों में ऐसे अनेक संगठनों और अलगाववादियों पर शिंकजा कसा गया है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हुए देश की संप्रभुता व अखंडता पर खतरा बने थे। इनमें जमाते इस्लामी कश्मीर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी प्रमुख हैं।

इन सभी को पाकिस्तान से शह और मदद मिलती रही है। इसीलिए ये पाकिस्तान की बोली भारत की धरती से बोलते रहे हैं। बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भारत को घाटी में शांति के लिए पाकिस्तान से बात करनी चाहिए अन्यथा कश्मीर का हाल गाजा पट्टी जैसा हो जाएगा। बहरहाल, केंद्र सरकार की कार्रवाई और संदेश एकदम साफ है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ लगे अलगाववादियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह भारत जैसे उदार और सहिष्णु देशों में ही संभव है कि आप अलगाव और देशद्रोह का खुलेआम राग अलापिए, मासूम युवाओं को भड़काइए, राज्य और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाइए, बावजूद आपके संरक्षण का राग फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता अलापते रहेंगे। एक समय पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के विरोध में नारे लगाने वाले ऐसे लोगों को देशद्रोही नहीं माना जाता था, अलबत्ता, उनकी सुरक्षा और एशो-आराम पर करोड़ों रु पये खर्च किए जाते रहे हैं। यह ऐसी हैरानी में डालने वाली वजह थी जो अलगाववादियों का न केवल भारत में पोषण कर रही थी, बल्कि वे भारतीय पासपोर्ट के जरिए दूसरे देशों की सरजमीं पर इतराते हुए भारत के खिलाफ मानवाधिकार हनन की वकालत करते हुए विद्रोह की आग भी उगलते रहे। किंतु अब मोदी सरकार ने पाकपरस्त अलगाववादियों की सरकारी सुरक्षा और आर्थिक मदद बंद कर इन्हें जेल की चारदीवारी का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। 2016 में भाजपा विधायक ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भी पृथकतावादियों पर अरबों रु पये खर्च करने का मुद्दा उठाया था।

पुलवामा के भीषण हमले और 44 जांबाजों के प्राण खोने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अलगाववादियों पर शिंकजा कसने की शुरुआत की थी। इन नेताओं में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक, जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष शब्बीर शाह, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हाशिम कुरैशी, पीपुल्स इंडिपेंडेंट मूवमेंट के अध्यक्ष बिलाल लोन और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल गनी बट शामिल हैं। इनमें से कई घाटी में आत्मनिर्णय की पैरवी भी करते रहे हैं, जबकि कश्मीर से चार लाख से भी ज्यादा पंडित, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य अल्पसंख्यकों को तीस साल पहले विस्थापित कर दिया गया था, उनके प्रति राष्ट्रभक्ति कभी नहीं जताई गई और न ही यहां के बहुलतावादी चरित्र की बहाली की बात करते हैं हाशिम कुरैशी 1971 में इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहर्ताओं में शामिल था। बिलाल लोन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के एक अलगाववादी धड़े का नेता है। फारसी का प्राध्यापक रहा अब्दुल गनी बट हुर्रियत का हिस्सा है। इसने कश्मीरी पंडितों के घर जलाने और उन्हें घाटी से बाहर खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। विडंबना देखिए जो देश-विरोधी गतिविधियों में ढाई-तीन दशक से लिप्त हैं, उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा-कवच मिला हुआ था। इन्हें सुरक्षित स्थलों पर ठहराने, देश-विदेश की यात्राएं कराने और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी 2016 के पहले 5 साल के भीतर 560 करोड़ रु पये खर्च किए जा चुके थे। जम्मू-कश्मीर राज्य के सभी 22 जिलों में 670 अलगाववादियों को विशेष सुरक्षा दी गई थी, जबकि ये पाकिस्तान का पृथकतावादी एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। कश्मीरी अलगाववादियों को देश-विदेश में हवाई-यात्रा के लिए टिकट सुविधा, पांच सितारा होटलों में ठहरने और वाहन की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थीं। स्वास्थ्य खराब होने पर दिल्ली के एम्स से लेकर अपोलो एस्कॉर्ट और वेदांता जैसे महंगे अस्पतालों में इनका उपचार कराया जाता था। इन सब खचरे को राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उठाती थीं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा परिषद में भाजपा सदस्य अजात शत्रु ने इस परिप्रेक्ष्य 1916 में आश्चर्यजनक खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पृथकतावादियों को विधायकों, मंत्रियों और विधान परिषद के सदस्यों से कहीं ज्यादा सुरक्षा मिली हुई है बाद में अजातशत्रु ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उनसे सदन अवाक रह गया था। राज्य में कुल 73,363 पुलिसकर्मी 2016 में थे, इनमें से समूचे राज्य के 670 अलगाववादियों की सुरक्षा में 18000 कर्मी तैनात थे। देश के खिलाफ बगावत का स्वर उगलने वालों को इतनी सुख-सुविधाएं सरकार दे रही थी, तो भला वे अलगाव से अलग होने की बात सोचें ही क्यों देश की मुख्यधारा में क्यों आएं राज्य सरकार इस सुरक्षा को उपलब्ध कराने का कारण अलगाववादी नेताओं और आतंकी संगठनों में कई मुद्दों पर मतभेद बताती रही है।

इस तकरीर से ही साफ है कि अलगाववादी राष्ट्र या राज्य के नहीं, बल्कि आतंकवादियों के कहीं ज्यादा निकट थे। लिहाजा, इनके अलगाव के स्वर को पनाह देना कतई राष्ट्रहित में नहीं था। ये अलगाववादी कितने चतुर और अपने परिवार के सदस्यों के सुरक्षित भविष्य के लिए कितने चिंतित रहे हैं, यह इनकी कश्मीरियों के प्रति अपनाई जा रही दोगली नीति से पता चलता है। इनका यह आचरण 'तुम सांप के बिल में हाथ डालो, मैं मंत्र पढ़ता हूं' मुहावरे को चरितार्थ करता है। हालांकि अलगाववादियों पर शिंकजा कसने और धारा-370 व 35-ए के समापन के बाद जम्मू-कश्मीर के आम जन का चरित्र तेजी से बदल रहा है, और वे मुख्यधारा में आकर भारतीय समरसता में घुलने-मिलने लगे हैं। मुस्लिम लीग की तरह अलगाववादी संगठनों पर भी लगाम लगाई जाती रही तो वह दिन दूर नहीं जब घाटी में जड़ से अलगाव और आतंकवाद के पोषक तत्व पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएंगे।

आजकल

## वकालत के पेशे की पवित्रता

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिवक्ताओं के वकालत करने पर चिंता व्यक्त की है। ऐसे लोग समाज को विशेषकर कानून बिरादरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक याचिका पर पीठ ने राज्य सरकार व उप्र राज्य विधिज्ञ परिषद को तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी कर लाइसेंस के सभी लंबित व नये आवेदनों के संबंध में पुलिस थानों से सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा। याचिकाकर्ता ऐसे मामले को अदालत के समक्ष लाए, जिसमें एक वकील पर 14 आपराधिक मामले लंबित थे, इनमें चार में वह दोषी करार किया जा चुका था। उसने वकालत का लाइसेंस यह हकीकत छिपा कर प्राप्त कर लिया था।

अदालत के अनुसार, अधिवक्ता अधिनियम ऐसे व्यक्तियों को वकालत के पेशे में आने से रोकता है। पूर्व में देखा गया है कि लंबे समय से आपराधिक मामलों में लिप्त लोग खराब मंशा से वकालत के पेशे में अपनी पकड़ बनाते रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने ऐसे मामले में अदालत का ध्यान आकृष्ट कर मुस्तैदी का काम किया है। यह गंभीर मसला है, इस पर कानून मंत्रालय को पहल करनी चाहिए और देश भर के वकीलों के लिए यह नियम तय करना चाहिए। वकील, अध्यापक, चिकित्सक आदि पेशों को आपराधिक पृष्ठभूमि वालों से मुक्त कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

उच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि पुलिस जांच में किसी तरह की कोई कोताही न हो। यह भी स्पष्ट किए जाना जरूरी है कि दोषी करार देने के बाद या अपना मुकदमा स्वयं लड़ने को इच्छुक शख्स को वकालत की पढ़ाई से कैसे रोका जा सकता है।

अपने यहां यदि अपराधी मुक्त घूम रहे हैं तो ढेरों बेगुनाह भी जेलों में बंद हैं, जिनका केस कोई वकील लेने को राजी ही नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले ही बागपत के अमित चौधरी के दो साल जेल में रहने के बाद वकालत की पढ़ाई करने और अपना केस लड़ने की खबर आई। बारह साल बाद अदालत ने उसे बेगुनाह करार दिया। इस तरह के अन्य मामलों का ख्याल रखना जरूरी है। अपराधियों पर अंकुश रखना जितना जरूरी है, उतना ही बेगुनाहों को किसी भी तरह की ज्यादती से बचाना भी जरूरी है।

# चुनावी भंवर में फंसी कांग्रेस

मुद्दा

डॉ. अनिल कुमार निगम

लोकसभा चुनाव का आगाज होने से पहले 14 जनवरी से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं। उनकी 67 दिन की यह प्रस्तावित यात्रा 67 जिलों और 14 राज्यों से गुजरेगी। राहुल की यह न्याय यात्रा निसंदेह चुनावी माहौल को कांग्रेस के लिए अनुकूल बनाने के लिए होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बिना सशक्त विचारधारा, स्पष्ट नीतियों और सशक्त नेतृत्व के बिना सत्ताधारी दल भाजपा को लोकसभा चुनाव में चुनौती दे पाएगी क्या यह सच नहीं है कि लगभग 140 साल पुराना सियासी दल कांग्रेस इस समय लचर नेतृत्व और स्पष्ट विचारधारा के संकट से गुजर रहा है

वर्तमान में सत्ताधारी दल भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। भाजपा का मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नामक एक एलायंस बनाया है। लेकिन सीटों के बंटवारे और प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर जिस तरीके से इन दलों के बीच परस्पर मतभेद उभरे हैं, उससे इस गठबंधन की एकजुटता पर भी सवालिया निशान लग गया है। इस एलायंस का प्रमुख घटक दल कांग्रेस है। इस पार्टी ने देश के स्वतंत्र होने के बाद कई दशकों तक देश में शासन किया है। लेकिन आज यह पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। अपनी विचारधारा और सशक्त नेतृत्व के चलते ही कांग्रेस महज एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि आंदोलन था। सर्वविदित है कि देश की आजादी में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। लेकिन समय के साथ-साथ यह दल खुद को बदलने में पूरी तरह विफल रहा। अपनी लचर नीतियों एवं नेतृत्व के चलते ही उसे हाल ही में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में तीन प्रमुख तीन राज्यों-राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा।

वर्ष 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, उसके बाद से पार्टी की एक स्पष्ट विचारधारा विकसित हुई थी। आजादी के बाद पार्टी गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर सर्वजन हिताय की बात करती थी। पार्टी ने जवाहर लाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहते कुछ हद तक इस विचारधारा को कायम रखा। लेकिन इंदिरा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद चीजें बदलने लगीं। हालांकि उस दौरान स्थिति उतनी खराब नहीं थी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में जबरदस्त तरीके से स्पष्ट विचारधारा का अभाव देखने को मिलता है। पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस के 'गांधीवाद' में भयंकर घालमेल हुआ है। बाहरी मुखौटा तो गांधी दर्शन का है, किंतु आंतरिक चरित्र अवसरवादी बन गया है।

आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल कभी खुद हिंदूवादी होने का दिखावा करते हैं तो कभी जे.एन.यू. में देशद्रोह मामले में आरोपितों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो कई बार भारतीय सैनिकों की शौर्य-क्षमता पर ही सवाल उठा देते हैं। यही नहीं, वे इस्लामी आतंकियों और जिहादियों के प्रति सहानुभूति तक दिखा देते हैं। ऐसे में कांग्रेस की खुद की अपनी विचारधारा क्या है, यह पता लगना बेहद जटिल है।

इसके अलावा कांग्रेस में सशक्त नेतृत्व का जबरदस्त संकट है। नेतृत्व और नीतिगत मोर्चे पर कांग्रेस आज बुरी तरह विफल रही है। पहले सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष रहीं और उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे। कांग्रेस 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित हो चुकी है। राहुल ने खुद की इमेज को ठीक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा सहित बहुत प्रयास किए और अब 14 जनवरी से न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। यही नहीं, 28 दलों के गठबंधन में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद का कैंडीडेट राहुल की जगह कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया, उससे यह पता चलता है कि विपक्षी दल भी राहुल को इस पद का चेहरा नहीं मानते। यह कमजोर नेतृत्व का ही परिणाम है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के झगड़े सार्वजनिक रूप से चलते रहे और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। इसी तरीके से पार्टी में उपेक्षित होने के चलते युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया।

पार्टी में कमजोर नेतृत्व के अलावा पार्टी की स्पष्ट नीति का अभाव भी देखने को मिलता है। कांग्रेस कई बार बड़े मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं उठा पाती है। मामला चाहे कृषि कानूनों का रहा हो या देश में चल रहे भ्रष्टाचार का, उसमें पार्टी स्पष्ट स्टैंड नहीं ले पाई। उसके पास अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर नीतियों का नितांत अभाव देखने को मिलता है। नीतियों के नाम पर बदलते हुए जुमले और समय-समय पर परिवर्तन होने वाले केवल नारे तो दिखते हैं, पर ठोस नीति नहीं होती। अब हम अगर खाली सनातन धर्म पर कांग्रेस के ढुलमुल नीति की बात करें तो राहुल गांधी मंदिरों के दर्शन एवं भगवान की पूजा अर्चना करते दिखाई देते हैं तो कई बार सनातन का अपमान करने वालों पर कुछ बोलने की जगह चुप्पी साध लेते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कहा है कि सनातन धर्म के विरोध का पाप और जातिवाद की राजनीति कांग्रेस को ले डूबेगी।